



राजस्थान सरकार
गृह (गुप-12) विभाग

गृह (गुप-6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या 106
दिनांक 11/11/2023

क्रमांक : प.7(11)गृह-12/कारा/2012 पार्ट-2

जयपुर, दिनांक 09.01.2023

:: आदेश ::

भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का संख्या-02) की धारा 432 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ऐसे बंदियों को राजस्थान राज्य के आपराधिक अधिकारिता के न्यायालयों द्वारा सिद्ध दोष ठहराये गये हैं, जो इस राज्य की जेलों में सजा भुगत रहे हैं, जिनका आचरण निरन्तर अच्छा है को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 23.04.2022 के अनुसरण में आजादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अन्तर्गत 26 जनवरी, 2023 के अवसर पर विशेष माफी देते हुए निम्नांकित बंदियों को समयपूर्व रिहा करने के आदेश एतद् द्वारा प्रदान किये जाते हैं :-

बिन्दु संख्या 06- ऐसे सिद्धदोष कैदी जिन्होंने अपनी कुल सजा अवधि की (उनके द्वारा अर्जित माफी की अवधि की गणना किये बिना) दो तिहाई (66%) अवधि पूरी कर ली है।										
क्र. सं.	बन्दी का नाम मय वल्लियत	निरुद्ध कारागृह का नाम	पता	न्यायालय का नाम	प्रकरण संख्या	अन्तर्गत धारा	निर्णय दिनांक	सजा अवधि	कुल भुगती सजा	विशेष विवरण
1	साहब सिंह उर्फ गोविन्द पुत्र माताप्रसाद	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	धड़ी चांदनी नयी आबादी पुलिस थाना एदमादोला जिला एदमापुर उ.प्र.हाल श्रमिक कॉलोनी पुलिस थाना बासनी जिला जोधपुर	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 03 जोधपुर महानगर	257/18, 148/18 पुलिस थाना- बासनी	323, 325, 307 आई.पी. सी.	16-07-22	05 वर्ष साधारण कारावास	04-06-10	-
2	ताज मोहम्मद उर्फ ताजिया पुत्र महेन्द्र खां	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	देदासरी पुलिस थाना बाप जिला जोधपुर	जिला एवं सेशन न्यायाधीश जैसलमेर	09 / 1999	326/149 आई.पी.सी.	10-07-18	07 वर्ष कठोर कारावास	04-06-20	-
3	रूपाराम पुत्र मफाजी	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	मगरी वाड़ा पुलिस थाना मण्डा जिला सिरौही	जिला एवं सेशन न्यायाधीश सिरौही	110/17, 103/17 पुलिस थाना मण्डार	323,447,325/ 34, 307 आई.पी.सी.	25-08-22	07 वर्ष कठोर कारावास	05-06-07	-

4	चन्द्रप्रकाश पुत्र लाल सिंह	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	नानकपुर पुलिस थाना रूपवास जिला भरतपुर	ए.डी.जे.संख्या 02 .बयाना जिल भरतपुर	प्रकरण सं. 38/2017 एफ.आई. आर. नं. 452/2013	380,324,341 आई.पी.सी.	3/3/2022	05 वर्ष कठोर कारावास	04-02-03	-
5	डूंगर सिंह पुत्र कल्लन सिंह	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	गढी नन्दू पुलिस थाना फतेहपुर सीकरी उ.प्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 04 भरतपुर	प्रकरण सं. 216/2020 एफ.आई. आर. नं. 318/2020	380 आई.पी.सी.	12-9-22	03 वर्ष साधारण कारावास	02-03-27	-
6	रामबाबू पुत्र मंगल	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	छतरी पुरा पुलिस थाना हिण्डौनसिटी जिला करौली	न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 01 हिण्डौनसिटी करौली	प्रकरण सं. 782/2021 एफ.आई. आर. नं. 138/2021	457,380,427 आई.पी.सी.	6-8-2022	02 वर्ष 06 माह कठोर कारावास	01-10-03	-
7	धर्मराम पुत्र सुखाराम	वि.के. का. श्यालावास	पुन्दलु पुलिस थाना गोदन जिला नागौर	सिविल न्यायाधीश (क. ख.) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग पीपाड़ शहर	प्रकरण सं. 568/1999	457,380 आई.पी.सी.	21.03. 2012 प्रभावी दिनांक 05.08. 2021	03 वर्ष साधारण कारावास	02-05-18	01 अन्य प्रकरण की मूल सजा सैटअप में समाप्त एवं जुमानी राशि की एवज में सजा भुगताया जाना शेष है।
8	साबिर खान पुत्र रसीद भाई	वि.के. का. श्यालावास	महिम मुम्बई हाल खाना बंदोस पुलिस थाना जी.आर.पी.अजमेर	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशसंख्या 03 अजमेर	प्रकरण सं. 07/2015 एफ.आई. आर.सं.	304 पार्ट/II आई.पी.सी.	15-05-17	10 वर्ष कठोर कारावास	07-11-15	-

					30/2015 पुलिस थाना. जी.आर.पी. अजमेर					
9	अम्बेश उर्फ वेदप्रताप पुत्र श्रीमनोहर लाल	वि.के. का. श्यालावा स	नवाबगंज पुलिस थाना सदना जिला सीतापुर उ.प्र.	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 03 अजमेर	1044/2016, 304/2019 पुलिस थाना सिविल लाईन अजमेर	394 आई.पी. सी.	16-02-21	05 वर्ष कठोर कारावास	03-05-25	-
10	दयाराम पुत्र रामफूल	वि.के. का. श्यालावा स	गादरबाड़ा पुलिस थाना कोलवा जिला दौसा	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01 बांदाकुई जिला दौसा	एफ.आई. आर.नं. 121/2008 प्रकरण संख्या 209/2008 फौजदारी अपील संख्या 17/2018	297,337,338,3 04ए आई.पी. सी.134/187. 50सी की सपठित धारा 177 मोटर व्हीकल एक्ट	09.01. 2018 प्रभावी दिनांक 02.09. 2022	06 माह साधारण कारावास	00-04-23	-
11	कमल उर्फ कमल्या उर्फ कचर उर्फ कचरिया पुत्र आजाद	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	इटून्दा पुलिस थाना हनुमाननगर जिला भीलवाड़ा	ए.सी.जे.एम. हिण्डौली बूंदी	प्रकरण संख्या 267/2021 सी.आई.एस. नं. 2105/2014	09/51 वन्य जीव अधिनियम 1972	09.06. 22	03 वर्ष साधारण कारावास	02-03-00	-

					एफ.आई. आर. 280/2014 पुलिस थाना हिण्डौली					
12	भूपेन्द्र सुमन पुत्र कालूलाल	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	इन्द्रा गांधी कच्ची बस्ती थाना विज्ञान नगर जिला कोटा	ए.सी.जे.एम. नं. 06 कोटा	प्रकरण सं. 34065/2014 (656/2014) एफ.आई.नं. 641/2014 पुलिस थाना महावीर नगर	456,380 आई. पी.सी	30.08. 22	02 वर्ष साधारण कारावास	01-04-10	-
13	अब्दुल नईम पुत्र अब्दुल रहीम	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	चश्मे की गावड़ी थाना मकबरा जिला कोटा	जे.एम.02 (दक्षिण) कोटा	सी.आई.एस. नं. 1382/2020 एफ.आई. आर.नं. 13/2020 थाना मकबरा	04/25 आर्म्स एक्ट	06.08. 22	01 वर्ष कठोर कारावास	00-11-20	-
14	छिद्द उर्फ रामप्रकाश पुत्र ग्यासी	जिला कारागृह, धौलपुर	रसन्तपुर थाना कोलारी जिला धौलपुर	जे.एम.सैपड जिला धौलपुर	15/2021 (227/2014) एफ.आई. आर.नं. 109 /2014 थाना कोलारी	498ए, 406, 323,341 आई. पी.सी.	13.12. 2021 प्रभावी दिनांक 23.03. 2022	01 वर्ष साधारण कारावास	00-08-06	-

15	बद्रीप्रसाद पुत्र लालजी राम मीणा.	केन्द्रीय कारागृह, अलवर	निवासी मूनपुर पुलिस थाना राजगढ़ जिला अलवर	ए.डी.जे. राजगढ़ जिला अलवर	केस नं. 26/2018 . एफ.आई. आर. नं. 438/2017 थाना राजगढ़	323,353,307 आई.पी.सी. 3/25 आर्म्स एक्ट	25.11. 2020	07 वर्ष कठोर कारावास	05-02-21	उक्त प्रकरण में बंदी की जमानत हो चुकी है। परन्तु जमानत तस्दीक कराने मे असमर्थ है तथा बंदी 10 वर्ष साधारण कारावास से इटावा जेल से वांछित है।
16	सोनू पुत्र ईश्वर	केन्द्रीय कारागृह, अलवर	वार्ड नं. 12 वाटर सप्लाय के पास कलानोर पुलिस थाना कलानोर जिला रोहतक हरियाणा	ए.एम.जे.एम. नं. 01 अलवर	केस नं. 23/264/200 7 एफ.आई. आर.नं. 291/2007 थाना सदर	394 आई.पी. सी.	18.10. 22	03 वर्ष कठोर कारावास	02-04-24	-
17	संजय पुत्र कप्तान	केन्द्रीय कारागृह, अलवर	चावला का बास घेघोली पुलिस थाना एम.आई.ए. जिला अलवर	ए.एम.जे.एम. नं. 02 अलवर	केस नं. 23/164/200 8 एफ.आई. आर.नं. 111/2017-1 8 थाना सदर	16/54 एक्स. एक्ट	28.10. 22	06 माह साधारण कारावास	00-05-12	-
18	दलीप उर्फ स्वामी समर्पन पुत्र गंगाराम	केन्द्रीय कारागृह,	तपोवन भूमि देशनोक पुलिस थाना देशनोक जिला बीकानेर	सेशन न्यायाधीश बीकानेर	केस नं. 328/2016	307,341,323 आई.पी.सी.	27/7/202 2	07 वर्ष कठोर	06-04-00	-

		बीकानेर			एफ.आई. आर. नं. 114/16 पुलिस थाना देशनोक			कारावास		
19	सोनू उर्फ लवली पुत्र नारायण	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	कप्तानगंज जिला गोरखपुर उ.प्र. हाल सम्राट कॉलोनी लुधियाना पंजाब	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झुंझुनू	केस नं. 828/2019 एफ.आई. आर.नं. 153/2019 पुलिस थाना बिसाउ	379 आई.पी. सी.	30/8/202 2	01 वर्ष 04 माह साधारण कारावास	00-11-12	-
20	सलीम उर्फ वाहिद पुत्र हनीफ खान	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	किरावली पुलिस थाना खुरजा जिला बुलन्दशहर उ.प्र.	सेशन न्यायाधीश सिरोही	केस नं. 08/2012 एफ.आई. आर.नं. 102/2011	457,392,397 आई.पी.सी.	9/5/2013	07 वर्ष कठोर कारावास	04-10-04	-
21	सुनील उर्फ जगदीश पुत्र सोहनलाल	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	सेरूणा पुलिस थाना सेरूणा जिला बीकानेर	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 03 बीकानेर	केस नं. 97/2014 एफ आई. आर. 124/2014 पुलिस थाना कोट गेट	379/75 आई. पी.सी	22.01. 2016 प्रभावी दिनांक 02.03. 2022	03 वर्ष साधारण कारावास	02-02-17	-
22	करन पुत्र मोहन यादव	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	घांची मोहल्ला गलियाकोट पुलिस थाना चित्तरी डूंगरपुर	ए.सी.जे.एम. बांसवाड़ा	495/2018	457,511,380 आई.पी.सी.	9/1/201 9	05 वर्ष कठोर कारावास	04-11-22	-

23	रमेश पुत्र सोहन मकवाना	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	नया तालाब पुलिस थाना गढ़ी बांसवाड़ा	ए.डी.जे. बांसवाड़ा	79/2018	147,365/149, 342/149,304(2)आई.पी.सी.	2/9/2022	07 वर्ष साधारण कारावास	04-08-10	-
24	उदयलाल पुत्र गौरीशंकर	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	नया अखाड़ा के पीछे पुलिस थाना कांकरोली राजसमन्द	ए.सी.जे.एम. राजसमन्द	480/2021	454,380 आई. पी.सी.	21/9/2022	02 वर्ष साधारण कारावास	01-05-04	-
25	छोटूलाल उर्फ मास्टर पुत्र मोहन लाल	जिला कारागृह, टोंक	चंदा महाराज की पुलिया पुलिस थाना कोतवाली जिला झालावाड़	सेशन न्यायाधीश झालावाड़	199/2017 सेशन केस	307,324 आई. पी.सी.	5/2/2019	07 वर्ष कठोर कारावास	05-00-12	-
26	किशन लाल पुत्र मोतीलाल	जिला कारागृह, टोंक	हरिपुरा नगर फोर्ट जिला टोंक	ए.सी.जे.एम. उनियारा टोंक	360/2023 रे.फो.	147,353,332, 379 आई.पी.सी. एवं 33 राज्य वन अधिनियम	21/9/2022	01 वर्ष साधारणका रावास	00-11-18	-
27	मुकेश पुत्र नहानू उर्फ नैनू	जिला कारागृह, टोंक	शूरिया बागरिया की दाणी थाना सदर निवाई जिला टोंक हाल खान बंदोश झोपड़ी बी 2 बाईपास टोंक रोड जयपुर	ए.डी.जे.09 जयपुर महानगर प्रथम	587/2019	304 II आई. पी.सी.	09-06-22	05 वर्ष साधारणका रावास	03-07-19	-
28	कालुराम पुत्र किशनलाल	केन्द्रीय कारागृह, श्री गंगानगर	बालाजी मंदिर के पास नेहरा नगर	विशिष्ट न्यायाधीश महिला उ.प्र. श्रीगंगानगर	31/2015	307,325,323 आई.पी.सी.	8/1/2022	07 वर्ष कठोर कारावास	05-10-06	-
29	महेन्द्र सिंह पुत्र करनेल सिंह	केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर	खखा, पुलिस थाना हिन्दूमलकोट जिला श्रीगंगानगर	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 02 श्रीगंगानगर	213/13	406,498क आई.पी.सी.	20.01. 2018 प्रभावी दिनांक 23.06. 2022	01 वर्ष साधारण कारावास	00-10-05	-

30	मोहम्मद आसिफ पुत्र फजलुरहमान	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	प्लॉट नं.-37 मेहनत नगर हटवाडा पुलिस थाना-सदर जिला जयपुर	अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नं.-09 जयपुर महानगर द्वितीय	प्र.सं. -08/2020, एफ.आई. आर.नं. -629/201 9 पुलिस थाना- विद्याधर नगर	379/34 भा.द. स.	17.05. 2022 अ. प्रभावी-1 1.10. 2022	2 वर्ष 7 माह साधारण कारावास जुर्माना-1 000/-रु पये, अ.अ. -1 माह अति रिक्त साधारण कारावास	01-11-24	-
31	धन्ना पुत्र धुडयाराम	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	हिंगोटा पुलिस थाना-बांदीकुई जिला दौसा।	अपर सेशन न्यायाधीश बांदीकुई जिला दौसा	प्र.सं. -12/2006 एफ.आई. आर.नं. -188/200 6	304-I, 323/34,324 /34, 325/34, 326/34 भा.द. स.	22.03. 2010 प्रभावी दि.-31. 10.2019	10 वर्ष कठोर कारावास व जुर्माना राशि-10, 000/-रु पये,अ.अ. -01 वर्ष अतिरिक्त कठोर कारावास	06-11-15	-

बिन्दु संख्या 07- निर्धन और अकिंचन कैदी, जिन्होंने अपनी कारावास की अवधि पूरी कर ली है किन्तु आरोपित जुमनि की राशि के भुगतान में असमर्थ होने के कारण उन्हें कारागार से रिहा नहीं किया गया है।

क्र. सं.	बन्दी का नाम मय वल्लियत	निरूद्ध कारागृह का नाम	पता	न्यायालय का नाम	प्रकरण संख्या	अन्तर्गत धारा	निर्णय दिनांक	सजा अवधि	कुल भुगती सजा	विशेष विवरण
1	कुरिया पुत्र हरजी खांट	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	बावड़ी पुलिस थाना आनन्दपुरी बांसवाड़ा	विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो एक्ट बांसवाड़ा	04/2016	366ए,368,376, आई.पी.सी. 5/6 आर्म्स एक्ट	09.01. 18	10 वर्ष साधारण कारावास	बंदी द्वारा मूल सजा भुगत ली गई है। जुमनि की सजा 01 वर्ष 06 माह भुगत रहा है।	-
2	छुटवन उर्फ छोटू पुत्र दोजा	जिला कारागृह, टोंक	महादेव खेड़ी थाना भानगढ़ जिला सागर म.प्र. हाल क्वार्टर नं. 21 एम.आई.रेल्वे कॉलोनी भोरां कोटा	ऐ.सी.जे.एम. रेल्वे कोटा	209/2018	419,420,467,4 68,471 आई. पी.सी.	17.02. 2021	07 वर्ष साधारण कारावास व 71,000/- रुपये अर्थदण्ड अ.अ. 07 माह 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास	मूल सजा दिनांक 12. 07.2022 को समाप्त हो चुकी है। दिनांक 13.07. 2022 से जुमनि की सजा भुगत रहा है।	-



गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 23.04.2022 के अनुसरण में उक्त बंदियों को 26 जनवरी, 2023 को रिहा किया जावे।

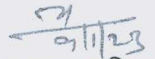
राज्यपाल के आदेश से,

(गोविन्द गुप्ता)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय कारागार मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
4. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव-II, गृह विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
10. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान।
12. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. राजस्थान जयपुर।
13. महानिदेशक/महानिरीक्षक कारागार, समस्त राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश।
14. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागृह, राजस्थान।
15. प्रोग्रामर, गृह (ग्रुप-6/समन्वय) विभाग, राजस्थान जयपुर।
16. रक्षित पत्रावली।


उप शासन सचिव